राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1569/2015/नागौर.

मैसर्स धूत संगमरमर प्रा.लि.,
मकराना नागौर। .....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
मकराना, नागौर। .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक। ....प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से

निर्णय दिनांक : 05/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 198/2014–15/वैट/मकराना में पारित आदेश दिनांक 30.06.2015 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत् प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, मकराना (जिसे आगे 'कर **निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2011–12 आदेश दिनांक 21.08.2014 के लिये अधिनियम की धारा 34 के नियम 19ए के तहत् आरोपित विलम्ब शुल्क राशि रूपये 25,000/– की पुष्टि की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011–12 के रिटर्न वैट–10ए ऑन–लाईन प्रस्तुत किये जाने चाहिए थे, जो कि उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाकर रिटर्न वैट–10 मैन्युअल प्रस्तुत किया, जिससे कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 21.08.2014 को अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण कर विलम्ब शुल्क राशि रूपये 25,000/– का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार करते हुए आरोपित मांग राशि को यथावत रखा गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा उनके अधीन कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से वैट–10 गलत प्रस्तुत किया गया, जिसमें सुधार कर वैट–10 (मैन्युअल) प्रस्तुत किया गया। इस बाबत् जो देरी हुई है उसके लिए नियम 19ए के उपनियम–द्वितीय के अन्तर्गत अधिकतम विलम्ब शुल्क राशि रूपये 5,000/– ही आरोपित किये जाने का प्रावधान है, इस प्रकार अधिक आरोपित विलम्ब शुल्क राशि रूपये 20,000/– को अपास्त करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक ने **माननीय कर बोर्ड के अपील संख्या 2087/2013 मैसर्स कनिका मार्बल, उदयपुर व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी आदेश दिनांक 25.05.2015** को उद्धरित किया। आगे उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों को अपास्त करने का निवेदन किया।

लगातार.....2

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम के नियम 19ए के तहत् वर्ष 2011–12 में मासिक या उससे कम अवधि में टैक्स देने वालों के लिये लेट फीस प्रतिदिन 100/– रूपये एवं 15 दिन पश्चात् 500/– रूपये लेकिन अधिकतम राशि रूपये 50,000/– या निर्धारित टैक्स का 30 प्रतिशत जो भी कम हो निर्धारित किया गया हो, देने के प्रावधान है। इस प्रकार अपीलार्थी पर आरोपित विलम्ब शुल्क राशि रूपये 25,000/– विधिक होने से यथावत् रखे जाने योग्य होने से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा रेकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011–12 का रिटर्न वैट–10 (ऑन–लाईन) लेट प्रस्तुत किया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत **माननीय कर बोर्ड के अपील संख्या 2087/2013 मैसर्स कनिका मार्बल, उदयपुर व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी आदेश दिनांक 25.05.2015** के तथ्य इस प्रकरण से भिन्न होने से उक्त दृष्टांत इस प्रकरण पर लागू नहीं होते है।

7. अधिनियम के नियम 19ए के तहत् वर्ष 2011–12 में मासिक या उससे कम अवधि में टैक्स देने वालों के लिये लेट फीस प्रतिदिन 100/– रूपये एवं 15 दिन पश्चात् 500/– रूपये लेकिन अधिकतम राशि रूपये 50,000/– या निर्धारित टैक्स का 30 प्रतिशत जो भी कम हो निर्धारित किया गया हो, देने के प्रावधान है, एवं अपीलार्थी पर कुल आरोपित विलम्ब शुल्क राशि रूपये 25,000/– ही है, अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.06.2015 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य